J.O. ID. No. UP–6095

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–एक, कासगंज

उपस्थिति– रत्नेश कुमार श्रीवास्तव

(एच०जे०एस०)

क्रिमिनल रिवीजन नंबर–21/2023

UPKR010009922023

शिव कुमार सिंह पुत्र श्री महीपाल सिंह निवासी 14 गंगानगर कॉलौनी बदायूं रोड थाना सुभाषनगर जिला बरेली।

बनाम

01– प्रीती चौहान पुत्री राम बाबू चौहान निवासी बृज कुन्ज कॉलोनी पुरानी चुंगी नदरई गेट थाना कासगंज जिला कासगंज।

02– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा योजित जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) जनपद कासगंज।

01.06.2026

01– पत्रावली पेश हुई।

02– बार–बार पुकार कराई गई। विपक्षी संख्या–2 उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित। पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी संख्या–1 अनुपस्थित। कोई प्रार्थना पत्र नहीं। वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता शिव कुमार सिंह द्वारा परिवाद संख्या–1156/2018 प्रीती चौहान बनाम शिव कुमार सिंह आदि में पारित तलबी आदेश दिनांकित–10.05.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत है। वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण दिनांक–05.06.2020 को योजित की गई। विलम्ब के कारण धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक–08.10.2020 को खण्डित किया गया। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–4728/2020 में पारित आदेश दिनांकित–20.01.2021 के अनुक्रम में प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्णवाद संख्या–35/2021 विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा आदेश

Digitally signed by RATNESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.01 16:04:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांकित–31.10.2022 के जरिए स्वीकार करते हुए प्रकीर्णवाद संख्या–68/2020 मूल नम्बर पर कायम किया गया एवं उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उक्त प्रकीर्णवाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 व अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम दिनांक–21.11.2022 को स्वीकार कर दिनांक–09.02.2023 को वर्तमान दाण्डिक निगरानी अंगीकृत हुई। उक्त के पश्चात से पक्षगण नियत अनेकानेक तिथियों पर उपस्थित नहीं आ रहे हैं न ही पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विपक्षी को नोटिस निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में उपेक्षित पैरवी की गई। मूल पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वर्तमान दाण्डिक निगरानी में पैरवी न किए जाने का कारण यह है कि मूल परिवाद में पक्षगणों में समझौते के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–44783/2023 में निर्गत आदेश दिनांकित–08.12.2023 के अनुक्रम में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांकित–05.02.2023 के जरिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सम्पूर्ण वाद की कार्यवाही समाप्त (Quashed) की गई। अतः मूल वाद के अस्तित्व में न रहने के कारण वर्तमान पुनरीक्षण सारहीन है। अतः मूल परिवाद के समाप्त होने एवं वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पैरवी न किए जाने एवं उदासीनता के कारण वर्तमान पुनरीक्षण को आगे चलाए जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है एवं वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण सारहीन होने, पक्षगणों की उदासीनता/अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी (Non prosecution) में खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

I. एतद्द्वारा वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–21/2023 शिव कुमार सिंह बनाम प्रीती चौहान आदि मूल परिवाद के अस्तित्व में न होने, सारहीन होने, पक्षकारो की अनुपस्थिति एवं उदासीनता के कारण अदम पैरवी (Non prosecution) खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–एक, कासगंज।
J.O. ID. No. UP–6095